

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ.11(2)13/मो/एपीआईपी/17-18/ 60123

जयपुर, दिनांक : 17-4-18

बैठक कार्यवाही विवरण

विभाग द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार निदेशालय स्तर, जिला स्तर एवं परियोजना स्तर पर वर्तमान में स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन एवं योजना के संचालन हेतु केन्द्रीय सहायता (सीए) एवं राज्य निधि (एसएफ) मदों में व्यय किये जाने के संबंध दिनांक 16-4-2018 को कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया गया। तदनुसार वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही फण्डिंग पैटर्न के आधार पर निम्नानुसार भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया -

क्र. सं.	मद का नाम	केन्द्रीय सहायता (सी.ए.)	राज्य निधि (एस. एफ.)
1	संवेतन- <u>जिला स्तर पर-</u> 1. उपनिदेशक 2. सहायक सांख्यिकी अधिकारी <u>परियोजना स्तर पर-</u> 1. बाल विकास परियोजना अधिकारी 2. सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ वरिष्ठ सहायक 3. पर्यवेक्षक उक्त का यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय भी	25	75
2	संवेतन (उक्त वर्णित पदों के अतिरिक्त शेष समस्त पद राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं परियोजना कार्यालयों में), कार्यालय व्यय-आवर्तक, किराया कार्यालय, वर्दी व्यय,	-	100
3	कार्यालय व्यय-आंगनबाड़ी आवर्तक, किराया आंगनबाड़ी, वाहन संधारण, वाहन किराया	60	40

अतः उक्तानुसार संवेतन मद के अनुसार वेतन एवं उक्त अन्य भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावे।

अतिरिक्त निदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.11(2)13/मो/एपीआईपी/17-18/ 60124-466  
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं राज. जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय जयपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय
4. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय।
5. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी
8. आदेश पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

समेकित बाल विकास सेवाएं, 2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

Department website - www.wcd.rajasthan.gov.in (Tel-fax 0141-2700281) T.N. - 0141-2713630